

## राज्य स्तरीय

### 100 प्रतिशत जल में घुलनशील उर्वरक मिश्रण का थोक उर्वरक विक्रेता के प्राधिकार पत्र में प्रविष्टि(संशोधन) हेतु जाँच-पत्र।

1. आवेदक के आधार कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।
2. आवेदक के पैन कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।
3. जी0 एस0 टी0 प्रमाणपत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति।
4. संशोधन शुल्क-रु0 150/-का बिहार कोषागार द्वारा निर्गत चालान की मूल प्रति।
5. मूल प्राधिकार पत्र (Letter of Authorisation) की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।
6. (क) प्रपत्र-स्रोत"ओ" की मूल प्रति एवं निर्माता/आपूर्तिकर्ता के प्राधिकार पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति।  
(ख) सरकार द्वारा अधिसूचित गुण नियंत्रण प्रयोगशाला का प्रपत्र-J एवं प्रपत्र-L में निर्गत (S.O.2900(E) कंडिका-1 के (i) से (viii) तक वर्णित विशिष्टियाँ सहित जाँच प्रतिवेदन की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति)  
(ग) S.O.2900(E) के कंडिका 2 के (i), (ii) एवं (iii) में वर्णित अपेक्षाओं से संबंधित दस्तावेज।  
(घ) आधान या थैले पर अंकित विशिष्टियों को 18"x4" आकार के रंगीन लेबल पर अंकित कर सभी छायाप्रति कागजात का स्वअभिप्रमाणित प्रति।
7. यदि आयातक है तो:  
(क) आयातक प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति।  
(ख) निर्यातक के द्वारा आपूर्ति (Source of Origin) आदेश की स्वअभिप्रमाणित प्रति  
(ग) आयातित उर्वरक का सरकारी संस्थान के गुण नियंत्रण प्रयोगशाला का विश्लेषण प्रतिवेदन (L-4)  
(घ) प्रत्येक उत्पाद के लिए अलग-अलग लदान बिल(Bill of Lading) की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।

नोट:- आवेदक द्वारा सभी कागजातों का स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति अपलोड किया जाना आवश्यक है।